



## न्यायालय प्राननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रक्रिया, ग्वालियर

**प्रकरण क्रमांक:**

श्री २०१८ के क्रमांक ३०६  
द्वारा लोज नं. २५/२९८  
प्रस्तुत। आधिकारिक तर्फ से  
दिनांक ६/३/१८ दिनांक  
*[Signature]*  
द्वारा दिलेख दिलेख  
श्रावण मण्डल, म.प्र. दिलेख

१२०१८ निगरानी

III/निगरानी/मण्डल/भृगु/2018/1380

- १- मुन्हीदीरी वववा पत्नी जगदीश नारायण शर्मा,
- २- किला शर्मा पत्नी सुरेश नारायण शर्मा,  
निवासी गण लिङ्ग किया पीछला, मिठ्ठौहसील व जिला मिठ्ठौ-मध्यप्रक्रिया।

----- प्राथीगण

### बिराध

- शिवेन्दु चौधरी पुत्र सुखनदलाल चौधरी,  
निवासी क्षासा बाबर, मिठ्ठौहसील व जिला  
मिठ्ठौ-म०प० ।

----- प्रतिप्राथी

निगरानी बिराध कार्यवाही ठिकाण रंब वाक्ता दिनांक २८-११-१७,  
अधीक्षक, मू-अभिलेख मिठ्ठौ पु०प० मा मू०ब०प०नि०सी । २०१७।१७०६  
अन्तर्गत धारा १० मध्यप्रक्रिया मू-राजस्व संस्था, ३६४६ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्राथी-पत्र निम्न वाचारी पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, प्रतिप्राथी छारा क्लैक्टर पहचय, मिठ्ठ की सम्बीधित प्राथी पत्र में विवादित मूमि स्थित मिठ्ठ सर्वे क्रमांक २२६३ का सीमांकन अधीक्षक, मू-अभिलेख मिठ्ठ छारा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है ।

२- यह कि, विवादित मूमि सर्वे क्रमांक २२६३ के से ~~से~~ स्थित हुई मूमि सर्वे क्रमांक २२६५ प्राथीगण के मूमि स्वामित्व की मूमि है, जो सीमांकन कार्यवाही में प्रभावित हुई है ।

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.स./2018/1380

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २४-४-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(ग्रामीण सदस्य)</p>   <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	